Legal Person

Person is a word derived from a Latin word persona, Persona means a mask. Person may be living creature or not. According to my opinion the word Person means and includes those who takes breath and has speech, thought, and choice when we transfer above said three things to any other (unliving things) things then this is also called person. Person can be classified into two categories.

"Person" शब्द लैटिन भाषा के शब्द *persona* से लिया गया है, जिसका अर्थ "मुखौटा" होता है।

"Person" (व्यक्ति) जीवित भी हो सकता है और निर्जीव भी।

मेरे विचार से "Person" का अर्थ उन सबको सम्मिलित करता है जो श्वास लेते हैं तथा जिनमें वाणी, विचार और चयन (इच्छा/निर्णय) की क्षमता होती है। जब ये तीनों गुण (वाणी, विचार और चयन) किसी अन्य (निर्जीव वस्तु) को प्रदान कर दिए जाते हैं, तब उसे भी "Person" कहा जाता है।

"Person" को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

Natural Person-

In jurisprudence, a **Natural Person** is a real human being. Natural person is a simple living human being. Natural person can hold any office all the fundamental rights given to natural person. But lunatic (unsound mind) and infants (child age) have a restricted legal personality. They do not have many civil rights i.e. right to vote. They have exceptions in criminal liability also.

In other words natural person word is used for human being. Actually all human persons are not legal persons. Slaves (minor) were not considered as legal person. Natural person and legal persons are two different concepts.

न्यायशास्त्र (Jurisprudence) में "Natural Person" का अर्थ एक वास्तविक मानव होता है।

Natural Person एक साधारण जीवित मनुष्य है।

Natural Person कोई भी पद धारण कर सकता है और उसे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

लेकिन पागल (असमझ/अस्वस्थ मस्तिष्क वाले) और शिशु (कम आयु के बच्चे) की विधिक व्यक्तित्व (legal personality) सीमित होती है। उन्हें कई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे मतदान का अधिकार। आपराधिक दायित्व (criminal liability) में भी इनके लिए कुछ अपवाद होते हैं।

दूसरे शब्दों में, "Natural Person" शब्द का प्रयोग मानव के लिए किया जाता है। वास्तव में, सभी मनुष्य विधिक व्यक्ति (legal person) नहीं माने जाते थे। उदाहरण के लिए, दास (और अल्पवयस्क) को पहले विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता था।

इस प्रकार, Natural Person और Legal Person दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

Legal person-

A legal person word derives from Latin word: **Persona ficta** it means artificial person, **juristic person, and body corporate;** also commonly called a **vehicle** has a legal name. Law has declared the rights, protections, privileges, responsibilities, and liabilities of legal person. Just as natural persons (human) do. The concept of a legal person is a fundamental legal fiction. Legal person includes there important things (speech, thought and choice) recognized by law.

"Legal Person" शब्द लैटिन शब्द *persona ficta* से निकला है, जिसका अर्थ कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person), विधिक व्यक्ति (Juristic Person) या निगमित निकाय (Body Corporate) होता है। इसे सामान्यतः एक ऐसी इकाई के रूप में भी समझा जाता है जिसका एक विधिक नाम होता है।

कानून, विधिक व्यक्ति को उसी प्रकार अधिकार, संरक्षण, विशेषाधिकार, कर्तव्य और दायित्व प्रदान करता है, जैसे प्राकृतिक व्यक्ति (मनुष्य) को दिए जाते हैं।

विधिक व्यक्ति की अवधारणा एक मूलभूत कानूनी कल्पना (legal fiction) है। विधिक व्यक्ति में वे महत्वपूर्ण तत्व (वाणी, विचार और चयन) सम्मिलित माने जाते हैं, जिन्हें कानून द्वारा मान्यता दी जाती है।

7.1 Definition of Legal Person

According to Salmond-[1]

'Any being to whom the law regards as capable of rights or duties. Any being that is so capable, is a person whether human being or not and nothing that is not so capable is a person even though to be man.'

सालमंड के अनुसार—

"कोई भी ऐसा अस्तित्व, जिसे कानून अधिकारों और कर्तव्यों का वहन करने में सक्षम मानता है, 'व्यक्ति' (Person) कहलाता है। ऐसा कोई भी अस्तित्व, चाहे वह मनुष्य हो या न हो, यदि वह इस योग्य है, तो वह व्यक्ति है; और जो इस योग्य नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, भले ही वह मनुष्य ही क्यों न हो।"

According to Grey-

'It is entity to which rights and duties may be attributed.'

According to Paton

'It is a medium through which some such units are created in whom rights can be vested.

In Som Prakash Rekhi v. Union of India[2], the Supreme Court has held 'let us consider that the jurisprudence bearing a corporation is not myth but reality and not an illusion or factious construction of law. It is a legal person indeed a legal person is any subject matter other than a human being to which the law attributes personality.

Som Prakash Rekhi v. Union of India में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि—

"हमें यह मानना चाहिए कि न्यायशास्त्र में निगम (**Corporation)** का अस्तित्व कोई मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है; यह केवल भ्रम या कानून की काल्पनिक रचना नहीं है। यह वास्तव में एक विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति वह कोई भी विषय-वस्तु हो सकती है, जो मानव के अतिरिक्त हो और जिसे कानून व्यक्तित्व प्रदान करता है।"

7.2 Leal Personality-

[1] Fitzgerald P.J. : Salmond on Jurisprudence(12th ed) p. 299
[2] (1981) 1 SCC 449

It is an artificial personality or juristic personality is the characteristics of a non living entity regarded by law to have the status of personhood. Humanity and personality may coincide or may not in early times slaves have no legal personality but other side Idols (Murti) are legal person but they are not treated as human beings. Therefore all humans are not legal person in many societies a person who takes religious or holy purpose. He considered as a dead man. For example in Hindu societies when a person becomes a 'sanyasi' then his rights, properties go to his heirs as if he were dead. In some societies the persons declared out laws were not considered as persons in the eye of law and therefore to kill them was not homicide.
In India the legal personality was not a clear term. The coparcenaries' may be considered as a corporation.

यह एक कृत्रिम व्यक्तित्व (Artificial Personality) या विधिक व्यक्तित्व (Juristic Personality) है, जो किसी निर्जीव इकाई की वह विशेषता है, जिसे कानून द्वारा व्यक्ति (Person) का दर्जा प्रदान किया जाता है।

मानवता (Humanity) और व्यक्तित्व (Personality) का मेल होना आवश्यक नहीं है; दोनों एक साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी। प्राचीन समय में दासों (Slaves) को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं था, जबकि दूसरी ओर मूर्तियाँ (Idols/Murti) विधिक व्यक्ति मानी जाती हैं, यद्यपि उन्हें मानव नहीं माना जाता। इसलिए, सभी मनुष्य विधिक व्यक्ति नहीं होते।

कई समाजों में, जो व्यक्ति धार्मिक या पवित्र उद्देश्य के लिए संन्यास लेता है, उसे कानूनी दृष्टि से मृत समान माना जाता है। उदाहरण के लिए, हिन्दू समाज में जब कोई व्यक्ति 'संन्यासी' बन जाता है, तो उसके अधिकार और संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को इस प्रकार हस्तांतरित हो जाते हैं, मानो उसकी मृत्यु हो गई हो।

कुछ समाजों में, जिन्हें 'बहिष्कृत' (Outlaws) घोषित किया जाता था, उन्हें कानून की दृष्टि में व्यक्ति नहीं माना जाता था, और इसलिए उनकी हत्या को भी 'हत्या' (Homicide) नहीं माना जाता था।

भारत में विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा प्रारंभिक समय में स्पष्ट नहीं थी। संयुक्त हिन्दू परिवार की सहभाज्यता (Coparcenary) को एक प्रकार के निगम (Corporation) के रूप में माना जा सकता है।

Idols- Idols[3] were supposed as legal personality. They have own property. They can sue and could be sued. Funds of idols are also supposed as legal personalities Idols are legal personality but they are treated as minor and pujari as his guardian.

मूर्ति (Idols):

मूर्तियों को विधिक व्यक्तित्व (**Legal Personality)** प्रदान किया गया है। उनके पास अपनी संपत्ति हो सकती है। वे मुकदमा दायर कर सकती हैं (**sue)** और उनके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है (**be sued)**।

मूर्तियों के नाम पर जो निधि (**funds)** होती है, उसे भी विधिक व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है।

यद्यपि मूर्तियाँ विधिक व्यक्ति मानी जाती हैं, फिर भी उन्हें एक अवयस्क (**minor)** के समान समझा जाता है और पुजारी (**pujari)** को उनका अभिभावक (**guardian)** माना जाता है।

Mosque- Mosque is also a legal personality. A mosque can sue and could be sued.

मस्जिद (Mosque):

मस्जिद को भी विधिक व्यक्तित्व (**Legal Personality)** प्रदान किया गया है। मस्जिद मुकदमा दायर कर सकती है (**sue)** और उसके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है (**be sued)**।

State- State is also a juristic person which can sue and can be sued according to Article 300 of Indian constitution. Same as mosque and guru granth sahib also juristic person declare by Supreme Court in different cases.

[3] In India, idols are legal persons as decided by the Privy Council in Prematha Nath Mullick v Pradumn Kumar Mullick,1925 LR 52 : Ind. App.245

राज्य (State):

राज्य भी एक विधिक (Juristic) व्यक्ति है, जो अनुच्छेद 300 के अनुसार मुकदमा दायर कर सकता है (sue) और उसके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है (be sued)।

इसी प्रकार, मस्जिद और गुरु ग्रंथ साहिब को भी विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यक्ति घोषित किया गया है।

Companies- Companies incorporated in accordance with the Indian companies act are juristic person. An incorporated company has a separate existence and the law recognizes it as the legal person separate and distinct from its members. Society also cab hold property through trustees and it cab sue and can be sued and any person can claim against it. Thus society is not a corporation in the full sense but is a legal person.

कंपनियाँ (Companies):

भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत (**incorporated)** कंपनियाँ विधिक (**Juristic)** व्यक्ति होती हैं। एक पंजीकृत कंपनी का अपना पृथक अस्तित्व (**separate existence)** होता है, और कानून उसे उसके सदस्यों (**members)** से अलग एक स्वतंत्र विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है।

समाज (Society):

समाज (**Society)** भी ट्रस्टी (**trustees)** के माध्यम से संपत्ति रख सकता है। यह मुकदमा दायर कर सकता है (**sue)** और इसके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है (**be sued),** तथा कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध दावा कर सकता है।

इस प्रकार, समाज पूर्ण रूप से निगम (**corporation)** तो नहीं होता, लेकिन उसे विधिक व्यक्ति (**legal person)** माना जाता है।

Animals- Animals are not legal personality because animals are not person in the eye of law so they do not have rights and duties. Animal can not buy property and anyone cannot made trust in animals. In India, cruelly against animals is an offence but this is not a duty towards animals, actually it is duty towards state and the society for a healthy environment.

पशु (Animals):

पशुओं को विधिक व्यक्तित्व (**Legal Personality)** प्राप्त नहीं है**,** क्योंकि कानून की दृष्टि में वे "व्यक्ति" नहीं माने जाते। इसलिए उनके अपने अधिकार और कर्तव्य नहीं होते।

पशु संपत्ति नहीं खरीद सकते और उनके नाम पर ट्रस्ट (**Trust)** भी नहीं बनाया जा सकता।

भारत में पशुओं के प्रति क्रूरता (**cruelty)** करना एक अपराध है**,** लेकिन यह कर्तव्य सीधे पशुओं के प्रति नहीं माना जाता**,** बल्कि राज्य और समाज के प्रति माना जाता है**,** ताकि एक स्वस्थ वातावरण (**healthy environment)** बनाए रखा जा सके।

Dead person- The rights and Duties are generally created by birth and finish at death. But in India dead person has a legal personality through his legal representatives in law certain matters recognizes and protects the desires and interests of the deceased as well as his body, reputation and his estate[4] in short if a person dies it does not meant that his legal status has, his status will not die because his legal representative (family) and other members) represents his duties and enjoy his rights. So a dead person has a legal status.

मृत व्यक्ति (**Dead Person):**

सामान्यतः अधिकार (**Rights)** और कर्तव्य (**Duties)** जन्म के साथ उत्पन्न होते हैं और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं।

[4] Fitzgerald P.J. : Salmond on Jurisprudence(12th ed) p.301

किन्तु भारत में, कुछ परिस्थितियों में मृत व्यक्ति को उसके विधिक प्रतिनिधियों (**legal representatives)** के माध्यम से विधिक व्यक्तित्व प्राप्त रहता है। कानून कुछ मामलों में मृतक की इच्छाओं और हितों के साथ-साथ उसके शरीर, प्रतिष्ठा (**reputation)** और संपत्ति (**estate)** की भी रक्षा करता है।

संक्षेप में, किसी व्यक्ति की मृत्यु का यह अर्थ नहीं है कि उसकी विधिक स्थिति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। उसके विधिक प्रतिनिधि (परिवार के सदस्य आदि) उसके अधिकारों का उपभोग करते हैं और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

इस प्रकार, मृत व्यक्ति को एक सीमित रूप में विधिक स्थिति (**legal status)** प्राप्त रहती है।

Unborn Child- An unborn child has legal status from law. According to Hindu law an unborn child has right in his father's property[5]. If his father died before his birth Although Paton denies that an unborn child has legal status and rights. But an unborn child is a natural person having legal rights and legal status. According to section 416 of Cr. P.C. if a pregnant woman is awarded as a death sentence, then her execution of the sentence shall be postponed till delivery of the child. An abortion or child destruction is the crimes. In English law killing to unborn child is completely a murder. Right of an unborn child to sue for torts concerned, the law is still unsettled on this point. At last an unborn child has a legal status.

अजन्मा शिशु (Unborn Child):

अजन्मे शिशु को कानून द्वारा एक विशेष प्रकार की विधिक स्थिति (legal status) प्रदान की जाती है। हिन्दू विधि के अनुसार, अजन्मे शिशु को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है, भले ही उसके जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाए।

[5] Venkata Subbarao, G.C. : Jurisprudence & legal Theory ,(9th ed. 1991) p.222

हालाँकि, विधिवेत्ता पैटन (Paton) इस बात से असहमत हैं कि अजन्मे शिशु को पूर्ण विधिक व्यक्तित्व और अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर भी, कई परिस्थितियों में अजन्मे शिशु को प्राकृतिक व्यक्ति (natural person) के रूप में कुछ अधिकार और विधिक संरक्षण दिए जाते हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 416 के अनुसार, यदि किसी गर्भवती महिला को मृत्युदण्ड दिया जाता है, तो उसके दण्ड के निष्पादन (execution) को बच्चे के जन्म तक स्थगित कर दिया जाता है।

गर्भपात (abortion) या अजन्मे शिशु की हत्या (child destruction) अपराध माने जाते हैं। अंग्रेजी विधि में अजन्मे शिशु की हत्या को हत्या (murder) के रूप में देखा जाता है।

जहाँ तक अजन्मे शिशु के द्वारा हानि (tort) के लिए मुकदमा करने के अधिकार का प्रश्न है, इस विषय पर कानून अभी पूरी तरह स्पष्ट (unsettled) नहीं है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि अजन्मे शिशु को एक सीमित रूप में विधिक स्थिति (legal status) प्राप्त होती है।

7.3 Kinds of Corporations: Corporations are of two kinds:

a) Corporation Aggregate

A corporation aggregate is an incorporated group of co-existing persons. A corporation aggregate is a group that has been granted legal personality by the law and it has several members at a time. The first corporations aggregated were companies.[6]

7.3 निगमों के प्रकार (Kinds of Corporations):

निगम (Corporations) दो प्रकार के होते हैं—

(a) निगम समष्टि (Corporation Aggregate):

(b) निगम समष्टि उन व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है, जो एक साथ विद्यमान होते हैं और जिन्हें विधि द्वारा एक विधिक व्यक्तित्व (legal personality) प्रदान किया गया होता है।

यह एक ऐसा समूह होता है, जिसे कानून द्वारा मान्यता दी जाती है और जिसमें एक समय पर अनेक सदस्य होते हैं।

प्रारम्भिक निगम समष्टि के उदाहरण कंपनियाँ (companies) थीं।

b) Corporation Sole

A corporation sole is an incorporated series of successive persons. A corporation sole is a single person at a time. Corporations sole are founded only when successive holders of some public office are incorporated to constitute a single, permanent and legal person. The corporation sole is created to meet the following needs:

a. Continuity of office

b. Acts to bind successors

c. Ownership of official property distinct from personal property

In the case of corporation sole, the same name is borne by the natural person (for the time being the sole member), and also by the office. This is misleading, as each of them is distinct from the other; under each name are two different persons. One is a human being administering for the time being the duties and affairs of the office.

He is visible to the eye of a layman. The other is a mythical being known to the law, he never dies or retires. The person in flesh and blood is his agent or representative. Agents, Beneficiaries, and Members of Corporation: A corporation being a legal entity only, neither possessing soul nor body, must necessarily act through some agency, some representative in the world of real men. The representatives of a corporation may also be beneficiaries in the case of a corporation established for charitable purposes. The representatives and beneficiaries must not be confounded by its members. Members of the individuals who form the group or series personified by the law, and who so constitute the corpus or body of the legal person thus created.

(b) निगम एकल (Corporation Sole):

निगम एकल उन क्रमिक (successive) व्यक्तियों की संस्था है, जिसे विधि द्वारा एक ही स्थायी विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति होता है।

निगम एकल की स्थापना तब की जाती है, जब किसी सार्वजनिक पद (public office) के क्रमिक धारकों को मिलाकर एक स्थायी और विधिक व्यक्ति का निर्माण किया जाता है।

निगम एकल निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है—

a. पद की निरंतरता (Continuity of office)

b. ऐसे कार्य, जो उत्तराधिकारियों को भी बाध्य करें (Acts to bind successors)

c. आधिकारिक संपत्ति का स्वामित्व, जो व्यक्तिगत संपत्ति से अलग हो (Ownership of official property distinct from personal property)

निगम एकल के मामले में, एक ही नाम प्राकृतिक व्यक्ति (जो उस समय उस पद पर है) और उस पद (office) दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यह कुछ भ्रामक हो सकता है, क्योंकि वास्तव में ये दोनों अलग-अलग होते हैं; एक ही नाम के अंतर्गत दो भिन्न व्यक्तित्व होते हैं।

पहला, वह मानव है जो उस समय उस पद के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर रहा है, जिसे सामान्य व्यक्ति देख सकता है।

दूसरा, वह एक काल्पनिक (mythical) विधिक व्यक्ति है, जिसे कानून पहचानता है; वह न कभी मरता है और न ही सेवानिवृत्त होता है। वास्तविक (जीवित) व्यक्ति उसका प्रतिनिधि (agent) होता है।

एजेंट, लाभार्थी और सदस्य (Agents, Beneficiaries and Members of Corporation):

निगम एक विधिक इकाई (legal entity) है, जिसका न शरीर होता है और न आत्मा; इसलिए वह वास्तविक संसार में अपने प्रतिनिधियों (agents) के माध्यम से ही कार्य करता है।

किसी निगम के प्रतिनिधि, विशेषकर परोपकारी (charitable) उद्देश्य वाले निगमों में, उसके लाभार्थी (beneficiaries) भी हो सकते हैं।

प्रतिनिधियों और लाभार्थियों को निगम के सदस्यों (members) के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। सदस्य वे व्यक्ति होते हैं, जो उस समूह या श्रृंखला (series) का निर्माण करते हैं, जिसे कानून द्वारा व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, और इस प्रकार वे उस विधिक व्यक्ति के "शरीर" (corpus) का निर्माण करते हैं।

7.4 Theories of Juristic Personality

1. Fiction Theory – This theory was put forward by Von Savigny, Salmond, Coke, Blackstone, and Holland etc. According to this theory, the personality of a corporation is different from that of its members. Savigny regarded corporation as an exclusive creation of law having no existence apart from its individual members who form the corporate group and whose acts are attributed to the corporate entity. As a result of this, any change in the membership does not affect the existence of the corporation. It is essential to recognize clearly the element of legal fiction involved in this process. A company is in law something different from its shareholders or members. The property of the company is not in law the property of the shareholders[7]. The company may become insolvent, while its members remain rich. Gray supported this theory by saying that it is only human beings that are capable of thinking, therefore it is by way of fiction that we attribute 'will' to non-human beings through human beings who are capable of thinking and assign them legal personality. Wolf said that there are three advantages of this theory. It is analytical, more elastic and it makes easier to disregard juristic personality where it is desirable.

7.4 विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत (Theories of Juristic Personality)

1. कल्पना सिद्धांत (Fiction Theory):

यह सिद्धांत Von Savigny, Salmond, Coke, Blackstone और Holland आदि द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

इस सिद्धांत के अनुसार, किसी निगम (corporation) का व्यक्तित्व उसके सदस्यों के व्यक्तित्व से अलग होता है। सैविग्नी के अनुसार, निगम कानून की एक विशेष (exclusive) रचना है, जिसका अपने सदस्यों

[7] Gray: Nature and Sources of Law, p.55

से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो व्यक्ति उस निगम का निर्माण करते हैं, उनके कार्यों को ही निगम के कार्य के रूप में माना जाता है।

इसका परिणाम यह होता है कि सदस्यों में कोई परिवर्तन होने पर भी निगम का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता। इस प्रक्रिया में निहित "कानूनी कल्पना" (legal fiction) के तत्व को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है।

कानून की दृष्टि में कंपनी अपने शेयरधारकों (shareholders) या सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र इकाई होती है। कंपनी की संपत्ति, कानून की दृष्टि में, उसके शेयरधारकों की संपत्ति नहीं होती। कंपनी दिवालिया (insolvent) हो सकती है, जबकि उसके सदस्य धनी बने रह सकते हैं।

ग्रे (Gray) ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि केवल मनुष्य ही सोचने में सक्षम होता है, इसलिए हम एक "कल्पना" के माध्यम से गैर-मानवीय इकाइयों को "इच्छा" (will) प्रदान करते हैं और उन्हें विधिक व्यक्तित्व देते हैं।

वुल्फ (Wolf) के अनुसार, इस सिद्धांत के तीन प्रमुख लाभ हैं—

- यह विश्लेषणात्मक (analytical) है,
- अधिक लचीला (elastic) है,
- और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ विधिक व्यक्तित्व को नज़रअंदाज़ करना आसान बनाता है।

2. Concession Theory – This theory is concerned with the Sovereignty of a State. It pre-supposes that corporation as a legal person has great importance because it is recognized by the State or the law. According to this theory, a juristic person is merely a concession or creation of the state. Concession Theory is often regarded an offspring of the Fiction Theory as both the theories assert that the corporation within the state have no legal personality except as is conceded by the State. Exponents of the fiction theory, for example, Savigny, Dicey[8] and Salmond are found to support this theory.

[8] Dicey A. V. : Law of the Constitution, (8th ed)p. 87

2. स्वीकृति सिद्धांत (Concession Theory):

यह सिद्धांत राज्य की संप्रभुता (Sovereignty of State) से संबंधित है। यह मानकर चलता है कि निगम (corporation) का विधिक व्यक्ति के रूप में महत्व इसलिए है, क्योंकि उसे राज्य या कानून द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

इस सिद्धांत के अनुसार, विधिक व्यक्ति (juristic person) केवल राज्य की एक स्वीकृति (concession) या रचना (creation) है।

स्वीकृति सिद्धांत को प्रायः कल्पना सिद्धांत (Fiction Theory) का ही एक रूप माना जाता है, क्योंकि दोनों ही सिद्धांत यह कहते हैं कि राज्य के भीतर निगम को तब तक विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता, जब तक कि राज्य उसे यह मान्यता प्रदान न करे।

कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विद्वान, जैसे Savigny, A. V. Dicey और Salmond भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं।

Nonetheless, it is obvious that while the fiction theory is ultimately a philosophical theory that a corporation is merely a name and a thing of the intellect, the concession theory is indifferent to the question of the reality of a corporation in as much as it focuses only on the source (State) from which the legal power of the corporation is derived.

फिर भी यह स्पष्ट है कि जहाँ कल्पना सिद्धांत (Fiction Theory) मूलतः एक दार्शनिक सिद्धांत है, जो यह मानता है कि निगम (corporation) केवल एक नाम और बौद्धिक अवधारणा (intellectual construct) मात्र है, वहीं स्वीकृति सिद्धांत (Concession Theory) निगम की वास्तविकता के प्रश्न से विशेष रूप से संबंधित नहीं है।

स्वीकृति सिद्धांत मुख्यतः उस स्रोत (राज्य) पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे निगम की विधिक शक्तियाँ (legal powers) उत्पन्न होती हैं।

3. Group Personality Theory or Realist Sociological Theory[9] – This theory was propounded by Johannes Althusius and carried forward by Otto Van Gierke. This group of theorists believed that every collective group has a real mind, a real will and a real power of action. A corporation therefore, has a real existence, irrespective of the fact whether it is recognized by the State or not. Gierke believed that the existence of a corporation is real and not based on any fiction. It is a psychological reality and not a physical reality. He further said that law has no power to create an entity but merely has the right to recognize or not to recognize an entity

A corporation from the realist perspective is a social organism while a human is regarded as a physical organism. This theory was favored more by the sociologists rather than by the lawyers. While discussing the realism of the corporate personality, most of the realist jurists claimed that the fiction theory failed to identify the relationship of law with the society in general. The main defect of the fiction theory according to the realist jurists was the ignorance of sociological facts that evolved around the law making process.

3. समूह व्यक्तित्व सिद्धांत / यथार्थवादी समाजशास्त्रीय सिद्धांत (Group Personality Theory / Realist Sociological Theory):

यह सिद्धांत Johannes Althusius द्वारा प्रतिपादित किया गया और Otto von Gierke द्वारा आगे विकसित किया गया।

इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक सामूहिक समूह (collective group) का अपना वास्तविक मस्तिष्क (real mind), वास्तविक इच्छा (real will) और वास्तविक क्रियाशक्ति (power of action) होती है। इसलिए, एक निगम (corporation) का अस्तित्व वास्तविक होता है, चाहे उसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या नहीं।

गियरके के अनुसार, निगम का अस्तित्व वास्तविक है और यह किसी कानूनी कल्पना (fiction) पर आधारित नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता (psychological reality) है, न कि भौतिक

[9] The Realist Theory is also called the "Organic Theory"

(physical) वास्तविकता। उन्होंने यह भी कहा कि कानून किसी इकाई (entity) का निर्माण नहीं करता, बल्कि केवल उसे मान्यता देने या न देने का अधिकार रखता है।

यथार्थवादी दृष्टिकोण से, निगम एक सामाजिक जीव (social organism) है, जबकि मनुष्य को एक भौतिक जीव (physical organism) माना जाता है। यह सिद्धांत वकीलों की अपेक्षा समाजशास्त्रियों द्वारा अधिक समर्थित रहा है।

निगम के व्यक्तित्व की वास्तविकता पर विचार करते समय, अधिकांश यथार्थवादी विधिवेत्ताओं ने यह कहा कि कल्पना सिद्धांत (Fiction Theory) कानून और समाज के बीच संबंध को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाता। उनके अनुसार, कल्पना सिद्धांत की मुख्य कमी यह है कि वह कानून निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े समाजशास्त्रीय तथ्यों की उपेक्षा करता है।

Horace Gray, however, denied the existence of collective will.He called it a figment. He said that to get rid of the fiction of an attributed by saying that corporation has a real general will, is to derive out one fiction by another.

हालाँकि, Horace Gray ने सामूहिक इच्छा (collective will) के अस्तित्व को अस्वीकार किया। उन्होंने इसे मात्र एक कल्पना (figment) बताया।

उन्होंने कहा कि यह कहना कि निगम (corporation) की अपनी वास्तविक सामान्य इच्छा (real general will) होती है, केवल एक कल्पना को दूसरी कल्पना से बदलने के समान है।

4. The Bracket Theory or the Symbolist Theory – This theory was propounded by Rudolph Ritter von Jhering (also Ihering). According to Ihering, the conception of corporate personality is essential and is merely an economic device by which we can simplify the task of coordinating legal relations. Hence, when necessary, it is emphasized that the law should look behind the entity to discover the real state of affairs. This is also similar to the concept of lifting of the corporate veil. This group believed that the juristic personality is only a symbol to facilitate the working of the

corporate bodies. Only the members of the corporation are 'persons' in real sense of the term and a bracket is put around them to indicate that they are to be treated as one single unit when they form themselves into a corporation.

ब्रैकेट सिद्धांत / प्रतीकात्मक सिद्धांत (The Bracket Theory or Symbolist Theory):

यह सिद्धांत Rudolph von Jhering (इहरिंग) द्वारा प्रतिपादित किया गया।

इहरिंग के अनुसार, निगमित व्यक्तित्व (corporate personality) की अवधारणा आवश्यक है और यह मात्र एक आर्थिक उपकरण (economic device) है, जिसके माध्यम से हम विधिक संबंधों (legal relations) के समन्वय (coordination) के कार्य को सरल बना सकते हैं।

इसलिए, जब आवश्यक हो, तो कानून को इस इकाई (entity) के पीछे जाकर वास्तविक स्थिति (real state of affairs) का पता लगाना चाहिए। यह सिद्धांत "कॉरपोरेट वेल को हटाना" (lifting of the corporate veil) की अवधारणा से भी मिलता-जुलता है।

इस सिद्धांत के अनुसार, विधिक व्यक्तित्व (juristic personality) केवल एक प्रतीक (symbol) है, जो निगमों के कार्य को सुगम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वास्तव में, केवल निगम के सदस्य ही "व्यक्ति" (persons) होते हैं।

इन सदस्यों के चारों ओर एक "ब्रैकेट" (bracket) लगाया जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब वे निगम का गठन करते हैं, तो उन्हें एक एकल इकाई (single unit) के रूप में माना जाएगा।

5. Purpose Theory or the theory of Zweck Vermogen – The advocates of this theory are Ernst Immanuel Bekker[10] and Alois von Brinz. This theory is also quite similar to the fiction theory. It declared that only human beings can be a person and have rights. This theory also said that a juristic person is no person at all but merely a "subjectless" property destined for a particular purpose. There is ownership but no owner. Thus a juristic person is not constructed round agroup of persons but based on an object and

[10] Barker(Gierk's Translation) Natural Law & Theory of Society, p.xxiii

purpose. The assumption that only living persons can be the subject-matter of rights and duties would havedeprived imposition of rights and duties on corporations which are non-living entities. It therefore, became necessary to attribute 'personality' to corporations for the purpose of being capable of having rights and duties.

उद्देश्य सिद्धांत (Purpose Theory) या Zweckvermögen सिद्धांत:

इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक Ernst Immanuel Bekker और Alois von Brinz हैं। यह सिद्धांत कुछ हद तक कल्पना सिद्धांत (Fiction Theory) के समान है।

इस सिद्धांत के अनुसार, केवल मनुष्य ही "व्यक्ति" (person) हो सकता है और उसी के पास अधिकार होते हैं। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि विधिक व्यक्ति (juristic person) वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह केवल एक "विषयरहित" (subjectless) संपत्ति है, जो किसी विशेष उद्देश्य (purpose) के लिए निर्धारित होती है।

अर्थात्, इसमें स्वामित्व (ownership) तो होता है, परन्तु कोई वास्तविक स्वामी (owner) नहीं होता। इस प्रकार, विधिक व्यक्ति किसी व्यक्तियों के समूह के आधार पर नहीं, बल्कि किसी वस्तु (object) और उद्देश्य (purpose) के आधार पर निर्मित होता है।

यदि यह मान लिया जाए कि केवल जीवित व्यक्ति ही अधिकारों और कर्तव्यों का विषय हो सकते हैं, तो इससे निगमों (corporations) जैसे निर्जीव संस्थाओं पर अधिकार और कर्तव्यों का आरोपण (imposition) असंभव हो जाता।

इसी कारण, निगमों को अधिकार और कर्तव्यों का धारक बनाने के लिए उन्हें "व्यक्तित्व" (personality) प्रदान करना आवश्यक हो गया।

6. Hohfeld's Theory– He said that juristic persons are creations of arbitrary rules of procedure. According to him, human beings alone are capable of having rights and duties and any group towhich the law ascribes juristic personality is merely a procedure for working out the legal rights and jural relations and making them as human beings.

Conclusion

The foregoing analysis makes it abundantly clear that incorporation had great importance because it attributes legal personality to non living entities such as companies, institutions etc. which help in determining their rights and duties. Clothed with legal personality, these non living personalities can own, use and dispose of property in their own names. Unincorporated institutions are denied this advantage because their existence is not different from the members.

6. होहफेल्ड का सिद्धांत (Hohfeld's Theory):

Wesley Newcomb Hohfeld के अनुसार, विधिक व्यक्ति (juristic persons) मनमाने प्रक्रिया नियमों (arbitrary rules of procedure) की रचना हैं।

उनके अनुसार, केवल मनुष्य ही अधिकारों और कर्तव्यों का धारक हो सकता है। जिन समूहों को कानून विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है, वे वास्तव में केवल एक प्रक्रिया (procedure) हैं, जिनके माध्यम से विधिक अधिकारों और विधिक संबंधों (jural relations) को व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें मानवों से संबंधित बनाया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि निगमितकरण (incorporation) का अत्यंत महत्व है, क्योंकि यह कंपनियों, संस्थानों आदि जैसे निर्जीव निकायों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है, जिससे उनके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण संभव हो पाता है।

विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होने के बाद, ये निर्जीव इकाइयाँ अपने नाम से संपत्ति का स्वामित्व रख सकती हैं, उसका उपयोग कर सकती हैं और उसका निपटान (dispose) कर सकती हैं।

इसके विपरीत, गैर-निगमित (unincorporated) संस्थाओं को यह लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनका अस्तित्व उनके सदस्यों से अलग नहीं माना जाता।